

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

➤ प्रस्तावना:

माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत शासन द्वारा दिनांक 08 अप्रैल 2015 को विनिर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र के सुक्ष्म क्षेत्र के छोटे वित्तपोषण को बढ़ावा देने एवं विकास एवं पुनर्वित्त उपलब्ध कराने हेतु Micro Units Development & Refinance Agency Ltd (MUDRA) का शुभारंभ किया गया है, एवं इसी दिन ऐसी इकाईयो को, जिन्हें वित्त उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें वित्तपोषण हेतु (“Fund the unfunded”) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी प्रारंभ की गई है, ताकि ऐसे व्यक्तियों/इकाईयों को सस्ती दरों पर साख उपलब्ध हो सके।

योजना अन्तर्गत मुख्य रूप से गैर कृषि उद्यमों जो कि विनिर्माण, व्यापार एवं सेवा व्यवसाय से जुडी हुई हैं एवं जिनकी साख आवश्यकता राशि रु.10.00 लाख तक हैं, को शामिल किया गया है।

➤ योजना अन्तर्गत शामिल गतिविधियां : मुद्रा योजना अन्तर्गत निम्न क्षेत्र में शामिल गतिविधियां जिनकी साख आवश्यकता राशि रु.10.00 लाख तक हैं, को वर्गीकृत किया जाता है –

- गैर कृषि उद्यमों जो कि विनिर्माण, व्यापार एवं सेवा व्यवसाय (MSME) से जुडी हुई हैं को शामिल किया गया है, अर्थात विनिर्माण इकाई, खुदरा व्यापार, लघु व्यवसाय, व्यवसायी एवं स्व नियोजि, एसआरटीओं आदि अन्तर्गत प्रदत्त ऋण।
- सहायक कृषि गतिविधियों जैसे मछली पालन, मधुमख्खी पालन, मुर्गी पालन, पशु पालन, ग्रेडिंग, छटाई, कृषि संबंधित उद्योग, एग्री क्लीनिक एवं एग्री व्यवसाय (ACABC), खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण आदि (फसल उत्पादन, भूमि विकास जैसे सिंचाई आदि को छोडकर) एवं इनसे संबंधित सहायक सेवाओं जो कि आजिविका को बढ़ावा देने या आय अर्जित करने वाली गतिविधियां हैं, को भी शामिल किया गया।
- ट्रैक्टर एवं पावर टिलर के तहत वितरीत ऋण।
- प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) अन्तर्गत प्रदत्त राशि रु.5000/- तक स्वीकृत अधिविकर्ष खातें।

➤ वर्गीकरण :

- शिशु केटेगरी : ऋण राशि रु. 50000/- तक,
- किशोर केटेगरी : ऋण राशि रु. 50001/- से राशि रु.5.00 लाख तक,

○ तरुण केटेगरी : ःरुण राशु ॢ. 5,00,001/– से राशु ॢ.10.00 लाख तक ।

➤ अंश राशु, ब्याजदर, प्रभार : प्रयोजन एवं योजना अनुसार निर्धारित मानदणुड अनुसार देय होंगे ।

➤ आवश्यक दस्तावेज :

- पहचान दस्तावेज यथा आधार कारुड/वोटर आयडी कारुड/ड्रायवुंग लायसेंस/पेन कारुड/पासपोरुट/नरेगा जॉब कारुड/अन्य दस्तावेज
- पते का दस्तावेज
- नवीनतम पासपोरुट आकार के फोटो
- योजना/प्रयोजन अनुसार अन्य दस्तावेज

➤ अधिक जानकारी के लिए नजदीकी शाखा से सम्पर्क करें। ःरुण प्रकरण का निराकरण निर्धारित मानदणुड के तहत किया जावेगा ।

.....